

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil First Appeal No. 676/2025

Jagdish Singh S/o Late Ramjilal,

----Appellant

Versus

Sahab Singh S/o Thandi Singh

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Girish Khandelwal

For Respondent(s) : Mr. Sanjay Joshi

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

19/03/2026

यह प्रार्थना-पत्र अपीलार्थी जगदीश की ओर से इस न्यायालय द्वारा इस अपील की सुनवाई के दौरान स्थगन प्रार्थना-पत्र संख्या 1609/2025 में पारित आदेश दिनांक 28.01.2026 में संशोधन करने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि बहस के दौरान उनकी ओर से डिक्रीशुदा राशि की पचास प्रतिशत राशि जमा कराने हेतु निवेदन किया गया था एवं विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/वादी भी इस राशि को जमा कराने पर सहमत थे तथा न्यायालय द्वारा भी डिक्रीशुदा राशि की पचास प्रतिशत राशि जमा कराने का आदेश सुनाया गया था परंतु टंकण की त्रुटि से आदेशिका में सम्पूर्ण डिक्रीशुदा राशि जमा कराए जाने का अंकन हो गया है, अतः न्यायहित में उक्त राशि के सम्बन्ध में आदेश में संशोधन किया जाए।

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भी यही प्रकट किया कि न्यायालय द्वारा डिक्रीशुदा राशि की पचास प्रतिशत राशि जमा कराने का आदेश सुनाया गया था।

दोनों पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। आदेश दिनांक 28.01.2026 में सम्पूर्ण डिक्रीशुदा राशि जमा कराए जाने का अंकन है। इस सम्बन्ध में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान डिक्रीशुदा राशि की पचास प्रतिशत राशि जमा कराने एवं सम्पूर्ण जमाशुदा राशि प्रत्यर्थी/वादी को अदा किए जाने का आदेश देने का निवेदन किया है। सम्बन्धित आशुलिपिक को दिए गए डिक्टेसन

के सम्बन्ध में जानकारी करने पर यह अवगत कराया गया है कि डिक्टेसन में डिक्लीशुदा राशि की पचास प्रतिशत राशि जमा कराने का ही अंकन है परंतु सहवन से टंकण के दौरान "सम्पूर्ण" डिक्लीशुदा राशि अंकित हो गया है जो मात्र टंकण त्रुटि है।

उक्त तथ्यों के प्रकाश में न्यायहित में जमा कराई जाने वाली राशि के सम्बन्ध में उक्तानुसार संशोधन किया जाना उचित है।

परिणामतः यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 28.01.2026 में स्थगन के सम्बन्ध में इस प्रकार संशोधन किया जाता है कि "अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना में डिक्लीशुदा राशि की पचास प्रतिशत राशि आठ सप्ताह की अवधि में जमा करवाए जाने की शर्त पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्ली की क्रियान्विति स्थगित की जाती है। उक्त जमाशुदा राशि प्रत्यर्थी/वादी को आदेश दिनांक 28.01.2026 में वर्णितानुसार शर्त की पालना करने पर अदा कर दी जावे।" यह आदेश पूर्व आदेश दिनांक 28.01.2026 का भाग रहेगा।

उक्तानुसार अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

AJAY KUMAR SINGHAL /02